न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर

उपस्थित– धीरेंद्र कुमार–III (एच.जे.एस.) आई.डी. नं.UP6145

फौजदारी अपील संख्या–35/2025

CNR No. UPBU01–002384–2025

1. कमलेश देवी पत्नी श्री इन्द्राज सिंह उम्र करीब 68 वर्ष
2. कालू पुत्र श्री इन्द्राज सिंह उम्र करीब 42 वर्ष
3. सरोज पुत्री श्री इन्द्राज सिंह उम्र करीब 40 वर्ष
4. सुमन पुत्री श्री इन्द्राज सिंह उम्र करीब 30 वर्ष
5. मुरारी पुत्र नामालूम उम्र करीब 42 वर्ष

समस्त निवासीगण ई–125, विजय विहार, फेस–2 रोहिणी सेक्टर–4, चूनी भट्टी रोड, आरती मेडिकल वाली गली दिल्ली–110085

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्रीमती ममता देवी पत्नी स्व० श्री सोनू पुत्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम हीरापुर, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर, स्थाई पता– ग्राम लड़ाना, थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर।

.....विपक्षीगण

–:निर्णय:–

1. प्रस्तुत फौजदारी अपील, विद्वान न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं. 2, बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या–348/2024, कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–389/2023, प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांकित–28.01.2025 के विरूद्ध निस्तारण हेतु लम्बित है।

2. संक्षेप में प्रस्तुत फौजदारी अपील से संबंधित वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिपक्षी सं० 2 श्रीमती ममता देवी द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र धारा–12, 18, 19, 20, 21, 22 व 23 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 08.02.2011 को स्व० सानू पुत्र इन्द्राज सिंह निवासी ई–126 विजय विहार फेस 2 रोहिणी दिल्ली के साथ हुई थी। उसके पिता ने शादी में करीब 8–10 लाख रूपये खर्च किये व समस्त दहेज, जेवर व स्त्रीधन आदि दिया था। सोनू से परिवादिनी के दो पुत्र देव उम्र करीब 10 वर्ष व नवीन 8 वर्ष पैदा हुए, परिवादिनी के जेठ कालू व नन्दोई मुरारी जो घर में जमाई बनकर ससुराल में ही रहते हैं। ये अक्सर परिवादिनी पर गन्दी नजर रखते थे जिसकी शिकायत उसने कई बार अपनी ननद सरोज व सास श्रीमती कमलेश से की तो उल्टा परिवादिनी को ही भला बुरा सुनाती थी। उसको शादी के कुछ दिन ठीक रखने के बाद उसके जेठ कालू व नन्दोई मुरारी व ननद सरोज व सुमन तथा सास कमलेश, परिवादिनी को आये दिन दहेज

Addl. Distt. & Sessions Judge,
Court No 1, Bulandshahr.

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2026.07.14 17:15:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में चार पहिया गाड़ी की मांग करते थे और बात–बात पर ताना देती थी कि भिखारियों से पाला पड़ गया है, तेरे बाप ने हमारी हैसियत के अनुसार शादी नहीं की। घटना दिनांक 15.08.2021 की दोपहर समय करीब 01 बजे की है। परिवादिनी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो पीछे से नन्दोई मुरारी व जेठ कालू रसोई में अन्दर घुस आये और उसको पीछे से पकड़कर अश्लील हरकते करने लगे व गलत काम करने के उद्देश्य से परिवादिनी के गले में से दुपट्टा खींच लिया व निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। जिस समय से उपरोक्त लोग गन्दी हरकते कर रहे थे, उस समय परिवादिनी की ननद सरोज व सुमन व सास कमलेश व पति सोनू अपनी आंखो से इस घटना को देख रहे थे। परिवादिनी इनके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी तथा गिड़गिड़ा रही थी तो सभी लोग यह कह रहे थे कि जब तुने दहेज में अपने बाप से चार पहिया की गाड़ी नहीं दिलवाई तो ये तो तुझे सहना ही पड़ेगा। परिवादिनी के शोर की आवाज सुनकर मौहल्ले के लोग आ गये। उपरोक्त लोगों ने परिवादिनी पर कोई रहम नहीं किया और परिवादिनी व उसके दोनों बच्चों सहित मात्र एक जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया कि जब तक तू अपने बाप से चार पहिया गाड़ी नहीं लायेगी तब तक तू इस घर में नहीं आयेगी। दिनांक 01.09.2021 को परिवादिनी को दिल्ली विजय विहार थाने से फोन आया कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। परिवादिनी अपने पिता के साथ पहुंचती है तो सभी उपरोक्त लोगों ने परिवादिनी को अपने पति का शव नहीं देखने दिया और परिवादिनी व उसके पिता के साथ अभद्र व्यवहार व बदतमीजी करके यह कहकर भगा दिया कि अब तू इस घर में नहीं रह सकेगी अगर तुझे रहना है तो अपने बाप से चार पहिया गाड़ी दिलवायेगी तो तुझे हम घर में रहने देंगे। परिवादिनी थाना विजय विहार दिल्ली अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गयी परन्तु थाने वालों ने परिवादिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसके बाद परिवादिनी ने थाना खानपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब एस०एस०पी० महोदय बुलन्दशहर को दिनांक 23.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मुकदमा अपराध सं० 78/2022 अन्तर्गत धारा 498ए, 354 ख आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी०एक्ट में थाना खानपुर पर दर्ज हुआ। दिनांक 20.02.2023 को ससुराल वाले कहने लगे कि हम आज बुलन्दशहर आ रहे हैं बात करेंगे, परिवादिनी ने अपने पिता को भी बुला लिया, जहां वह वर्तमान में रह रही थी, समय करीब दोपहर 12 बजे उपरोक्त मुल्जिमान हीरापुर बुलन्दशहर आये और परिवादिनी के साथ मारपीट शुरू कर दी और बगैर अतिरिक्त दहेज के ले जाने से साफ इंकार कर दिया मौहल्ले वालों के आने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। परिवादनी कम पढ़ी–लिखी घरेलू महिला है, जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि का कोई कार्य नहीं जानती है और अपने वृद्ध माता–पिता पर बोझ बनकर रह रही है, जिस कारण वह अपना व अपने पुत्रों देव व नवीन का भरण–पोषण करने में असमर्थ है। विपक्षी सं० 1 परिवादिनी की सास है जिस पर दिल्ली में दो मकान व तीन फ्लेट है, जिसमें तीन फ्लैट किराये पर उठा रखे है, जिससे विपक्षी सं० 1 को 30,000/– रूपये प्रतिमाह आमदनी है तथा ड्राईक्लीन की दुकान चलाती है जिससे करीब 50,000/– रूपये माहवार आमदनी है। इस प्रकार विपक्षीया को कुल 80,000/– रूपये प्रतिमाह की आमदनी है। इस प्रकार विपक्षी सं० 1, परिवादनी व उसके पुत्रों को भरण–पोषण हेतु भत्ता देने में सक्षम है। परिवादनी को अपने स्वयं के भरण–पोषण हेतु 12,000 /– रूपये माहवार एवं पुत्र देव व नवीन के लिए 8,000–8,000/– रूपये, माहवार कुल 28,000/– रूपये माहवार भरण–पोषण राशि के रूप में प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से एवं अधिवक्ता फीस 10,000/–रूपये दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। परिवादिनी द्वारा निम्न अनुतोष की याचना की गयी– परिवादिनी को धारा–18 के अधीन उसके साथ घरेलू हिंसा व शारीरिक मानसिक पीड़ा पहुंचाने से विपक्षीगण को रोका जाये। धारा–19 के अधीन विपक्षीगण को आदेशित किया जाये कि वह उसके अलग रहने की

समुचित व्यवस्था करें अथवा किराये हेतु 8,000/– रूपये माहवार अदा करें। धारा–20 के अधीन उसको भरण–पोषण के रूप में 12,000/– रूपये माहवार तथा पुत्रों देव व नवीन को 8,000–8,000/– रूपये माहवार दायरा दिनांक से विपक्षी से दिलाया जाये। धारा–22 के अधीन घेरलू हिंसा शारीरिक मानसिक व भावनात्मक क्षति के रूप में एकमुश्त 5,00,000/– रूपये दिलाया जाना आवश्यक है। धारा–23 के अधीन दौरान वाद अन्तरिम भरण–पोषण के रूप में 12,000 /–रूपये माहवार तथा पुत्रों देव व नवीन को 8,000–8,000/– रूपये माहवार प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से विपक्षी से दिलाया जाये। परिवादिनी का समस्त स्त्रीधन व विवाह का समस्त विपक्षीगण के कब्जे में है। वह भी परिवादिनी को विपक्षीगण से दिलाया जाये। अतः परिवाद स्वीकार किया जाकर उक्त सभी अनुतोष तथा अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे विपक्षीगण से परिवादिनी को दिलाया जाने की याचना की गई।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित–06.11.2024 के माध्यम से प्रार्थिया का वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया। परिवादिनी द्वारा स्वयं को पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को एकपक्षीय निर्णय में परिवादिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया कि–घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, की धारा 18 के अधीन विपक्षीगण को परिवादिनी के प्रति किसी प्रकार की घरेलू हिंसा के कृत्य किये जाने से या उत्प्रेरित किये जाने से निषेधित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा– 19 के अंतर्गत विपक्षी संख्या–1 कमलेश को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को अपने घर में आवासीय हेतु एक सुविधाजनक कमरा मय पाकशाला व स्नानघर उपलब्ध कराए। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होती है तो परिवादिनी को प्रत्येक माह की 10 तारीख को किराये हेतु 3,000/– रुपये प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, की धारा 20 के अधीन विपक्षी संख्या–1 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के भरण–पोषण के लिए, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य अन्य गृहस्थी खर्च आदि को सम्मिलत करते हुए परिवादिनी को 8,000/–रु० भरण–पोषण प्रतिमाह वाद दायर करने की तिथि से आज तक तथा आगे प्रत्येक अंग्रेजी माह की 10 तारीख तक प्रदान करेगी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, की धारा 22 के अधीन परिवादिनी को विपक्षीगण द्वारा कारित घरेलू हिंसा से हुई मानसिक, भावानात्मक एवं शारीरिक प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 60,000/–रु० एकमुश्त धनराशि भी विपक्षी संख्या–1 द्वारा परिवादिनी ममता देवी को अदा की जायेगी। उक्त आदेश दिनांकित–28.01.2025 के विरूद्ध ही प्रस्तुत फौजदारी अपील निस्तराण हेतु लम्बित है।

5. प्रस्तुत फौजदारी अपील के माध्यम से अपीलार्थीगण का कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय आदेश दिनांकित 28.01.2025 विधि विरूद्ध व खिलाफ कानून व वाकयात है, खण्डित होने योग्य है। अपीलार्थीगण पूर्ण रूप से निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पत्रावली का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया है और न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है। उक्त परिवाद की परिवादिनी एक शौकीन मिजाज, असामाजिक, गुस्सैल महिला है और इसी आदत के कारण परिवादिनी ने दो बार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन दोनों बार जांच में घटना झूठी होने पर डर व भय के कारण अपने बचाव में फैसला कर लिया और अपीलार्थीगण के घर आकर रहने लगी और अपनी पुरानी आदत के

कारण वादिनी आये दिन घर में लड़ाई झगडा, उत्पात मचाना, घर के रोजमर्रा के कार्य न करना वादिनी की आदत में शुमार है, जिस कारण विादनी के पति यानि अपीलार्थीगण के पुत्र/भाई ने मानसिक परेशान होकर और वादनी के द्वारा आये दिन तंग परेशान करने, मुकदमा दर्ज कराने, वाद विवाद करने, झगड़ा फसाद कर परिवार का माहौल अशान्त बनाने के कारण आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी सं० 2 कालू दिमागी रुप से कमजोर है, जिसका घर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं रहता है और दीमागी रुप से कमजोर होने के कारण वह कोई रोजगार भी नहीं कर पाता है बल्कि अन्य परिजनों पर ही आश्रित रहता है। परिवादनी के उक्त परिवाद की जानकारी होते ही अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सलाह मशविरा करके अपना जबाव तैयार करा लिया था लेकिन परिवादनी ने साज करके कई तारीखों पर पत्रावली गुम करा दी और अपीलार्थीगण का जबाव दाखिल नहीं होने दिया और बाद में पता चला कि पत्रावली में एकपक्षीय आदेश पारित हो चुका है, जो परिवादिनी की चालाकी का परिणाम रहा है और अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवायी का कोई अवसर मा० विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे भी प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी सं० 1 श्रीमती कमलेश देवी 68 वर्ष की वृद्ध महिला है, कोई रोजगार करने में असमर्थ है और उसके नाम कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है और उन्हें अपनी वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने की स्थिति में भी एक सहयोगी की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी सं० 3 सरोज व 04 सुमन विवाहित है और वह शादी के समय से ही अपने पति के साथ बाखुशी अपनी ससुराल में रह रही है अपीलार्थी सं० 05 मुरारी को बिना वजह ही तंग परेशान करने के लिये पक्षकार बनाया गया है और अपीलार्थी सं० 3 व 4 का अपने माता पिता या उनके परिवार से सम्बन्ध व वास्ता नहीं है, मात्र तीज त्यौहार पर ही घर आती जाती है। उक्त परिवाद में दिया गया कथन व गवाहान का कथन पूर्णतया भिन्न है और विरोधाभासी है जिसे भी विचारण न्यायालय ने नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने भी पत्रावली का निष्पक्ष अवलोकन न करते हुये बाला ही बाला रिवीजनकर्तागणों के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो हर हालत में अपास्त होने योग्य है। वादिनी एक शिक्षित महिला है तथा आसानी से आय अर्जित कर अपनी गुजर बसर कर रही है। अपीलार्थी कमलेश वृद्ध, विधवा महिला है तथा उसे आंखो से भी दिखाई नहीं देता है और उस पर आय का कोई साधन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत एकपक्षीय आदेश दिनांकित 28.01.2025 खण्डित होने योग्य है तथा उसको खण्डित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांकित–28.01.2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

6. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत अपील पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत फौजदारी अपील के माध्यम से अपीलार्थी सं० 1 का कथन है कि वह 68 वर्षीय वृद्ध महिला है। रोजगार करने में असमर्थ है और उसके नाम पर कोई चल अचल संपत्ति नहीं है और उन्हें अपनी वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में भी एक सहयोगी की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी सं. 03 व 04 विवाहित हैं। उनकी शादी के समय से ही वह पति के साथ ससुराल में रह रही हैं। अपीलार्थी सं. 05 पृथक रह रहा है, उसका भी प्रतिपक्षी सं० 1 के परिवार से कोई वास्ता नहीं है। अपीलार्थी सं. 02 कालू दिमागी रूप से कमजोर है, जिसका घर के कार्यों से कोई लेना–देना नहीं रहता है और दिमागी रूप से कमजोर होने के कारण वह कोई रोजगार भी नहीं करता बल्कि परिजनों पर ही आश्रित रहता है।

8. प्रतिपक्षी सं० 2/परिवादिनी द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12, 18, 19, 20, 21, 22 व 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यद्यपि अपीलार्थी सं० 1 विद्वान विचारणीय न्यायालय के सम्मुख अनुपस्थित रही और उसके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित हुई। जिसे उसके द्वारा प्रार्थना पत्र 12 बी के माध्यम से अपास्त कराया गया है, परंतु उसके पश्चात् भी कमलेश देवी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी सं० 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह अत्यंत गरीब व बुजुर्ग महिला है। वह जब न्यायालय में आई, तो उसे न्यायालय में पत्रावली नहीं मिली और न ही तारीख की जानकारी हो पाई। उक्त एकपक्षीय आदेश स्थिर रहने से अपीलार्थी सं० 1 व अन्य के साथ अन्याय होगा। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षों का पक्ष सुनकर गुणदोष के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा, अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश दिनांकित 28.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है, तदानुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या–35 सन् 2025, कमलेश देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–28.01.2025 अपास्त किया जाता है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायोचित आदेश पुनः गुणदोष के आधार पर पारित करें।

11. अपीलार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वह कोई अनावश्यक स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा उनके द्वारा अपील में जो आधार उठाये गये हैं, उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

12. उभयपक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.08.2026 को पेश हो।

13. इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को विधिनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

14. फौजदारी अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–14.07.2026

(धीरेंद्र कुमार तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड सं.–6145

15. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–14.07.2026

(धीरेंद्र कुमार तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड सं० 6145